2024/317, 2024/325

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या 44/2024 (राजसमन्द डिक्री)

1. मनोहरलाल पिता उंकार जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मोतीलाल पिता उंकार जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
3. बसन्तीलाल पिता उंकार जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पिता कन्हैयालाल जाति माली, निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
2. इन्द्रलाल पिता कन्ना जाति डांगी, निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
3. बाबुलाल पिता कन्ना जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

3/1. मांगीलाल पिता बाबुलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

3/2. राजु पिता बाबुलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

3/3. विष्णु पिता बाबुलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

3/4. रेखा पुत्री बाबुलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

3/5. भोलीबाई पत्नी बाबुलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

4. नवलराम पिता कन्ना जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
5. हीरालाल माता स्व. फतु पिता दीपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
6. पप्पुलाल माता स्व. फतु पिता दीपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
7. प्रियंका माता स्व. फतु पिता दीपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
8. मांगीलाल पिता दामा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

9. मदनलाल पिता दामा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

10. दुर्गादेवी पुत्री दामा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

11. मोतीबाई पत्नी दामा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

12. पुष्कर पिता भगा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

13. सीता पुत्री भगा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

14. बाबुलाल पिता शंकरलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

15. पुष्करलाल पिता शंकरलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

16. मंजुबाई पुत्री शंकरलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

17. लालीबाई पत्नी शंकरलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

18. मनोहरलाल पिता गोपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

19. गणेशलाल पिता गोपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

20. कनीबाई पुत्री गोपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

21. लक्ष्मीबाई पुत्री गोपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

22. गंगाबाई पुत्री गोपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

23. बबलीबाई पुत्री गोपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

24. नवलाल पिता मोडा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

25. कुका पिता गंगा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

26. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

2. प्रकरण संख्या 46/2024 (राजसमन्द डिक्री)

1. मनोहरलाल पिता उंकार जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मोतीलाल पिता उंकार जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
3. बसन्तीलाल पिता उंकार जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पिता कन्हैयालाल जाति माली, निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
2. इन्द्रलाल पिता कन्ना जाति डांगी, निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
3. बाबुलाल पिता कन्ना जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

3/1. मांगीलाल पिता बाबुलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

3/2. राजु पिता बाबुलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

3/3. विष्णु पिता बाबुलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

3/4. रेखा पुत्री बाबुलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

3/5. भोलीबाई पत्नी बाबुलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

4. नवलराम पिता कन्ना जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
5. हीरालाल माता स्व. फतु पिता दीपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
6. पप्पुलाल माता स्व. फतु पिता दीपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
7. प्रियंका माता स्व. फतु पिता दीपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
8. मांगीलाल पिता दामा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
9. मदनलाल पिता दामा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

10. दुर्गादेवी पुत्री दामा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
11. मोतीबाई पत्नी दामा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
12. पुष्कर पिता भगा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
13. सीता पुत्री भगा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
14. बाबुलाल पिता शंकरलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
15. पुष्करलाल पिता शंकरलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
16. मंजुबाई पुत्री शंकरलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
17. लालीबाई पत्नी शंकरलाल जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
18. मनोहरलाल पिता गोपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
19. गणेशलाल पिता गोपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
20. कनीबाई पुत्री गोपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
21. लक्ष्मीबाई पुत्री गोपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
22. गंगाबाई पुत्री गोपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
23. बबलीबाई पुत्री गोपा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
24. नवलाल पिता मोडा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
25. कुका पिता गंगा जाति डांगी निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
26. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 रा. का. अ. 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.09.2022 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 13.09.2023 प्रकरण सं0 168/2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपस्थित :– 1– श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री नरेश जणवा अभिभाषक रेस्पो. सं. 5, 6

---::---

निर्णय दिनांक 13.05.2026

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम निचली ओडन तहसील नाथद्वारा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 27 के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजीयात स्थित है। परिशिष्ट ''अ'' की आराजी नम्बर 299, 300 कुल किता 2 रकबा 0.4300 हैक्टेयर में वादी का 1/4 हिस्सा निहित है। परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नम्बर 301, 302, 306 कुल किता 3 रकबा 0.6703 हैक्टेयर में वादी का 1/8 हिस्सा एवं परिशिष्ट ''स'' की आराजी नम्बर 900, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 कुल किता 8 रकबा 1.1508 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा निहित है। उक्त भूमियां शामलाती दर्ज होने से खातेदारों के मध्य विवादित होता रहता है, जिससे भूमि का विभाजन किया जाना आवश्यक है। अतः वाद वर्णित परिशिष्ट अ, ब, स की भूमियों में वादी का दर्ज हिस्सा क्रमशः 1/4, 1/8, 1/6 अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.09.2022 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 13.09.2023 को अन्तिम डिक्री जारी की। प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.09.2022 के विरूद्ध अपील दिनांक 29.10.2024 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 13.09.2023 से रुष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.11.2024 को प्रस्तुत की गई।

3. अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दोनों अपीलों के साथ मयाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए एवं निवेदन किया कि दिनांक 22.10.2024 को जब गांव मौतबीर व्यक्तियों द्वारा कहा गया कि जमीन गलत खाते हो गई तब अपीलान्ट द्वारा नकले प्राप्त कर दोनों अपीलें अविलंब प्रस्तुत कर दी गई है। ताईद

उप-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

में शपथ पत्र प्रस्तुत किए एवं देरी को क्षमा कर अपीलें अन्दर मयाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

4. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण में गुणावगुण निर्णय करने के दृष्टिगत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

5. दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 168/2022 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

6. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 (प्रतिवादी संख्या 5) बाबूलाल पिता कन्ना की दिनांक 10.06.2023 को मृत्यु हो गई, जिसके वारिसान को बिना कायम कराये मृतक के विरूद्ध डिक्री जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन में केवल वादी की भूमि को अलग किया है, शेष सभी खातेदारों को शामिल रखा है, जो त्रुटि पूर्ण है। मूल दावे में अपीलान्ट मनोहरलाल की प्रोपर तामील ही नहीं हुई है। तहसीलदार मौका कमिश्नर द्वारा फर्द बंटवारा तैयार करते समय अपीलान्ट व अन्य प्रतिवादीगण को प्रोपर सूचना नहीं दी गई है। बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री एंव अन्तिम डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अन्तिम डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्टगण की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाकर पुनः कब्जे व हिस्से अनुसार साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6 ने अपीलान्ट की बहस का समर्थन करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाने का निवेदन किया।

8. हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य पक्षकार वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लक्ष्मीनारायण

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहा है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के अधिवक्ता श्री नरेश जणवा ने अपीलान्ट के कथनों को सही बताते हुए अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः रिमाण्ड करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि एक पक्षकार बाबूलाल की मृत्यु हो जाने के उपरान्त भी उसके वारिसान की बिना नामकायमी कराये मृतक के विरूद्ध डिक्री जारी कर दी गयी तथा विभाजन में मात्र वादी लक्ष्मीनारायण का हिस्सा ही अलग किया गया है, शेष काश्तकारों के हिस्से शामिल रखे गये हैं, जबकि बंटवारा नियमों के अनुसार सभी काश्तकारों के हिस्से पृथक–पृथक करने चाहिए। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

9. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.09.2022 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 13.09.2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं तहसीलदार नाथद्वारा पक्षकारान को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में बंटवारा नियमों की पालना करते सभी काश्तकारों के खाते पृथक–पृथक कर बंटवारा प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.07.2026 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

13.5.26

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर